!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./48/2025/27531 दिनांक : 5/8/25

:: आ दे श ::

I

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक स्था./47/2025/27073 दिनांक 31.07.2025 के आदेश क्रम–I में श्रीमती भावना, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय कार्यालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर की जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर से कार्यव्यवस्था समाप्त की जाकर आदेश क्रम– II के द्वारा कार्यव्यवस्था के तहत कार्यालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अलवर में कार्य करने हेतु लगाया गया था।

उक्त आदेश दिनांकित 31.07.2025 के आदेश क्रम– II में श्रीमती भावना को कार्यालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अलवर में कार्यव्यवस्था के तहत लगाये जाने सम्बन्धी आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर श्रीमती भावना को तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्यालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 अलवर में कार्यव्यवस्था के तहत कार्य करने हेतु लगाया जाता है।

II

निम्नांकित कर्मचारी के सामने कॉलम संख्या–4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री सतीश चन्द यादव, रीडर ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–5, अलवर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, अलवर
2	श्री संकेत कुमावत, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर (आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध स्वयं के पद के वेतनमान पर)	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर
3	श्री विजेन्द्र गुप्ता, शरिस्तेदार ग्रेड तृतीय	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट केसेज) संख्या–2, अलवर	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–5, अलवर

नोट :– उक्त आदेश के क्रम संख्या–1 पर अंकित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन कार्यालय में लिपिकीय कार्य करेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज0)

III

निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री ललित कुमार शर्मा	रीडर ग्रेड द्वितीय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, अलवर	रीडर ग्रेड द्वितीय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर	श्री आनन्द कुमार शर्मा के स्थान पर
2	श्री आनन्द कुमार शर्मा	रीडर ग्रेड द्वितीय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर	रीडर ग्रेड द्वितीय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1, अलवर	श्री ललित कुमार शर्मा के स्थान पर
3	तनु शर्मा	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–5, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, अलवर	रिक्त पद पर

IV

निम्नांकित कर्मचारी को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री संकेत कुमावत, आशुलिपिक ग्रेड तृतीय	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर (आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध स्वयं के पद के वेतनमान पर)	अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अलवर
2	श्री विजेन्द्र गुप्ता, शरिस्तेदार ग्रेड तृतीय	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट केसेज) संख्या–2, अलवर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, अलवर
3	श्री विपुल शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	पोक्सो न्यायालय संख्या–3, अलवर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–1, अलवर

V

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के अंतर्गत अलवर मुख्यालय पर NICSI के माध्यम से अभिलेख की Scanning and Digitization का कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये गये

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अलवर (राज.)

हैं। इसी क्रम में निम्नांकित कर्मचारीगण को आगामी आदेश तक उक्त कार्य में सहयोग करने हेतु जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में लगाया जाता है :–

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन न्यायालय
1	2	3
1	श्री सुरेन्द्र सिंह, लिपिक ग्रेड द्वितीय	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
2	श्री तुषार शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, अलवर

उक्त आदेश के क्रम संख्या–2, पर अंकित कर्मचारी के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि वे कर्मचारी को उक्त कार्य करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में तुरन्त प्रभाव से उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।

नोट–

1– कार्यालय आदेशों की पालना 03 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।

2– आदेश क्रम–II में अंकित कर्मचारी की पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था न्यायालय से प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम– IV में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाये जाने से कर्मचारी को पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।

3– कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

Sd-
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2025/27532-558 दिनांक : 5/8/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ न्यायालय, पोक्सो न्यायालय सं. 3, अलवर
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1 अलवर/सं. 2 अलवर
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर
4. अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 अलवर/सं. 2 अलवर/सं. 5 अलवर
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 अलवर
6. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) सं. 2 अलवर
7. अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3 अलवर
8. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
9. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई–मेल करने हेतु।

05.08.2025
(अनन्त भण्डारी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र